

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-691 / 2012संस्थित दिनांक-03.09.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. लाखनसिंह पुत्र सिकन्दरसिंह गुर्जर उम्र 45 साल
2. वासुदेवसिंह पुत्र सरनामसिंह गुर्जर उम्र 57 साल
3. राजेशसिंह पुत्र वासुदेवसिंह गुर्जर उम्र 33 साल
4. रविन्द्रसिंह पुत्र वासुदेवसिंह गुर्जर उम्र 37 साल

निवासीगण ग्राम खरौआ हाल वार्ड क्र0 5

संतोषनगर गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-**{आज दिनांक 31.01.2018 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 323/34, 447, 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.08.12 के 2 बजे दिन में हार ग्राम छरेंटा में फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभकारित किया, सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रामेश्वर शर्मा की लातघूसों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की, फरियादी की जमीन को जबर्न टेक्टर से जोतकर आपराधिक अतिचार कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 11.08.2012 फरियादी रामेश्वर शर्मा अपने खेत गया था वहां अभियुक्तगण आए और अभियुक्त वासुदेव ने कहाकि फरियादी को जमीन उसके नाम करनी पड़ेगी। जब फरियादी ने कहाकि वह जमीन नहीं बेच रहा है तो चारों अभियुक्तगण मादरचोद भोसडी की गालियां देने लगे। रविन्द्र और राजेश ने उसे पकड़ लिया तथा वासुदेव और लाखन ने लातघूसों से मारपीट की। रविन्द्र ने डण्डे मारे जो पीठ व पसलियों में लगे तथा सिर में चोट लगी, खून निकल आया। अभियुक्तगण ने टेक्टर से आराजी नं0 33 रकबा 1.48 एवं आरजी नं0 53 रकबा 0.49 को जबर्न जोत लिया। फरियादी चिल्लाया तो पास में जानवर चरा रहे केदार एवं

बाबूलाल आ गए जिन्होंने बचाया तो अभियुक्तगण टेक्टर लेकर ग्राम खरौआ तरफ चले गए और जान से मारने की धमकी दे गए। उक्त आशय की सूचना से अप0क0 176/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होने तथा फरियादी से जमीन संबंधी विवाद के संचालित होने के कारण झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 11.08.12 के 2 बजे दिन में हार ग्राम छरेंटा में फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभकारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक, समय पर फरियादी रामेश्वर के शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति क्या थी ?
3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रामेश्वर शर्मा की लातघूसों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी की जमीन को जबरन टेक्टर से जोतकर आपराधिक अतिचार कारित किया ?
5. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर रामेश्वर को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 1, रामेश्वर शर्मा अ0सा0 2, केदार अ0सा0 3, बाबूलाल अ0सा0 4, लक्ष्मणसिंह गौर अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्तगण की ओर से बचाव में स्वयं अभियुक्त वासुदेव ब0सा0 1 एवं राजेशसिंह ब0सा0 2 के कथन कराए हैं।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष //

6. फरियादी रामेश्वर अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक 11.08.2012 की दिन के 2 बजे की बताते हुए कथन करते हैं कि वे खेत में बांध रोकने जा रहे थे। अभियुक्तगण टेक्टर लेकर उसके खेत को जोतने के लिए आ गए। अभियुक्तगण ने कहाकि उनके नाम वयनामा कर दो तो

फरियादी ने कहा कि वह जमीन नहीं बचे रहा है। इसी बात पर चारों अभियुक्तगण द्वारा पटककर सरियो द्वारा मारपीट करने का कथन करते हैं। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में किसी अभियुक्त द्वारा कोई भी अश्लील शब्द या गाली के उच्चारण का कथन नहीं करते हैं। अन्य साक्षी केदार अ0सा0 3 अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा रामेश्वर को गाली गलौंच करने का कथन करते हैं किन्तु कौनसी गाली दी और सुनने में उसे कोई क्षोभकारित हुआ हो, ऐसा भी कथन नहीं करते। इसके अतिरिक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन किया है कि अभियुक्तगण मादरचोद व बहन की गाली दे रहे थे। यह साक्षी फरियादी का सगा भाई है और उसने अपने अभिसाक्ष्य में पुलिस को कोई भी कथन देने से इंकार किया है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह बताता है कि अभियुक्तगण की उसके सामने कोई बातचीत नहीं हुई क्यों उसके आने के पूर्व ही अभियुक्तगण भाग गए थे। ऐसी दशा में साक्षी द्वारा किया गया कथन अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप के संबंध में अभियोजन के मामले को कोई लाभ प्रदान नहीं करता है।

7. साक्षी बाबूलाल अ0सा0 4 अपने मुख्य परीक्षण में पहले तो अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करते किन्तु सूचक प्रश्न किए जाने पर यह साक्षी अभियुक्तगण द्वारा भद्दी भद्दी गालियां दिए जाने के तथ्य को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से साक्षी का अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप के संबंध में किया गया कथन उसका मौलिक कथन नहीं है। साथ ही प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में साक्षी स्वीकार करते हैं कि उनके समक्ष आरोपीगण ने फरियादी को कोई भी माँ बहन की गाली नहीं दी। इस प्रकार से साक्षीगण की अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण पर अधिरोपित संहिता की धारा 294 के आरोप के संबंध में समुचित साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। अतः संहिता की धारा 294 का आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न कमांक 5 का निष्कर्ष //

8. फरियादी रामेश्वर अ0सा0 2 अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि उसकी अभियुक्तगण ने मारपीट की जिससे उसे पसलियों और सिर में चोट आई। वह चिल्लाया तो अभियुक्तगण भाग गए और कह रहे थे कि तुम इस खेत को नहीं जोत पाओगे। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा संत्रास कारित करने के आशय से किसी प्रकार की धमकी दिए जाने का कथन नहीं करता है। केदार अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि अभियुक्तगण बोल रहे थे कि इस खेत को हम जोतेंगे और कह रहे थे कि जो खेत पर आएगा उसे मारेंगे। साक्षी कण्डिका 4 में कथन करता है कि उसके सामने आरोपीगण की कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि अभियुक्तगण पहले ही भाग गए थे। ऐसे में साक्षी के द्वारा सर्वप्रथम कथित धमकी से भय अथवा संत्रास कारित करने के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं किया। साथ ही उसके सामने अभियुक्तगण से जब कोई बातचीत ही नहीं हुई तब अभिकथित धमकी कैसे दी गयी, यह प्रमाणित नहीं है। बाबूलाल अ0सा0 4 सूचक प्रश्नों में

अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने का कथन करते हैं, जबकि प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि उसे झगड़े के बारे में रामेश्वर ने बताया था, उसके सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ। जबकि रामेश्वर अ0सा0 2 स्वयं अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा संत्रास कारित किए जाने के आशय से धमकी का कथन नहीं करते हैं। बाबूलाल अ0सा0 4 यह भी स्वीकार करते हैं कि अभियुक्तगण ने फरियादी रामेश्वर को उसके सामने कोई भी जान से मारने की धमकी नहीं दी। इस प्रकार से अभियुक्तगण पर संहिता की धारा 506 भाग दो के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु सारवान साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं हैं।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4 का निष्कर्ष //

9. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण के आशय से उक्त विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। फरियादी रामेश्वर अ0सा0 2 घटना दिनांक 11.08.2012 की होने का कथन करते हुए बताते हैं कि वह खेत में बांध रोकने के लिए जा रहा था और आरोपीगण टेक्टर लेकर उसके खेत में जोतने के लिए आ गए। अभियुक्तगण ने कहा कि उनके नाम वयनामा अर्थात् विक्रय पत्र कर दो। जब फरियादी ने कहा कि जमीन नहीं बेच रहा तो चारों लोगों ने उसे पटककर सरियों से मारपीट कर दी। साक्षी उसे पसलियों और सिर में चोट आने का कथन करते हैं। खेत को अभियुक्तगण द्वारा जोत लिए जाने का कथन करते हैं। उक्त खेत का क्षेत्रफल 10 बीघा बताते हुए सर्वे क्र0 33 व 53 को जोत लेने का कथन करते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि उनका अभियुक्त वासुदेव से विवाद सन 2012 से ही चालू हुआ है। साक्षी यह स्वीकार करते हैं कि प्रपी01ए की रिपोर्ट में अभियुक्तगण के पास सरिया होने एवं सरियों से मारपीट करने की बात नहीं लिखी है। साक्षी यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें प्र0पी0 1 ए की प्राथमिकी की प्रतिलिपि उसी दिनांक को मिल गयी थी परंतु उन्होंने सरिया न लिखे जाने के संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत नहीं की, न ही किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही की। इस प्रकार से सर्वप्रथम तो फरियादी द्वारा उसकी मारपीट अभिकथित रूप से सरिया से होने के संबंध में कथन किया है जिसका कि पुलिस रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में अभाव है।

10. फरियादी रामेश्वर का सगा भाई केदार अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है कि घटना के समय वह अपने खेत में भैंसे चरा रहा था और अभियुक्तगण टेक्टर लेकर उसके खेत में आए और रामेश्वर को गाली गलौच करने लगे तथा मारपीट कर दी। साक्षी यह भी बताते हैं कि अभियुक्तगण रामेश्वर से बोल रहे थे कि वे खेत को जोतेंगे और जो खेत पर आयेगा उसे मारेंगे। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन करते हैं कि अभियुक्त रविन्द्र, वासुदेव व राजेश के हाथ में लाठी थी जबकि लाइन खाली हाथ था। आगे यह कथन करते हैं कि राजेश टेक्टर चला रहा था व लाटियां टेक्टर के मडगार्ड पर रखी थी। साक्षी स्पष्ट रूप से कथन करता है कि अभियुक्तगण के

पास सरिया नहीं थे, लाठियां थी। यह भी कथन करता है कि अभियुक्तगण रामेश्वर की सरियों से मारपीट नहीं कर रहे थे। जबकि रामेश्वर अ0सा0 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि उसे लातघूंसों से चोट पहुंचाई थी, छोटे छोटे सरिया थे जो एक एक हाथ के थे। यह भी कथन करते हैं कि 2-3 जन (लोगों) पर सरिया थे। यहां स्पष्ट करता है कि रविन्द्र, राजेश व वासुदेव पर सरिया थे तथा उसके सिर में सरिया वासुदेव ने दिए थे। साक्षी यह भी कथन करते हैं कि प्र0डी0 1 में उन्होंने अभियुक्तगण द्वारा सरिया से चोट पहुंचाए जाने वाली बात लिखाई थी, यदि न लिखी हो तो उसका कारण नहीं बता सकते हैं। इस प्रकार से सगे दोनों भाईयों के होने के बावजूद भी साक्षी द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियार सरिया/लाठी के संबंध में सारवान विरोधाभासी कथन किए हैं।

11. प्रकरण में घटना का कथित चक्षुदर्शी साक्षी बाबूलाल अ0सा0 4 अपने मुख्य परीक्षण में बताता है कि वह दंदरौआ दर्शन करने जा रहा था और रामेश्वर के खेत के पास पहुंचा तो वहां रामेश्वर जानवर चरा रहा था। थोड़ा आगे जाने पर शोर सुनाई दिया तो वापस आकर देखा कि वासुदेव खड़ा था और रामेश्वर जमीन पर पड़ा हुआ था, अन्य लोग चले गए थे। अभियोजन का मामला का समर्थन न किए जाने से साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर कथन करता है कि वह जानवर छोड़कर दंदरौआ जा रहा था। जब रामेश्वर के खेत पर पहुंचा वासुदेव और उसके लडके रामेश्वर को खेत में पटककर मारपीट कर रहे थे। साक्षी सूचक प्रश्नों में अभियोजन के समस्त सुझाव को स्वीकार करता है। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में सर्वप्रथम कथन करता है कि वह कभी भैंस चराने नहीं गया। साक्षी यह कथन करता है कि वह छरेंटा से ग्राम बरौआ के लिए पैदल आ रहा था तब बरौआ गांव के पास रोड पर जो पुलिया है, उस पर झगड़ा हुआ था। साक्षी यह भी बताता है कि उक्त दिन वह दंदरौआ नहीं गया, उसे रामेश्वर ग्राम बरौआ में पूरनसिंह दंदरौआ वाले के दरवाजे पर बैठे मिले थे तब वह रामेश्वर को थाना लेकर गया था। साक्षी स्वीकार करते हैं कि उनके सामने रामेश्वर से झगड़ा बरौआ की पुलिया पर नहीं हुआ बल्कि उसने सुना था, फिर कथन करता है कि उसे रामेश्वर ने फोन किया था कि उसे बरौआ गांव की पुलिया से उठाकर ले जाओ, झगड़ा हो गया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन किया है कि घटनास्थल से जिस जमीन को लेकर फरियादी एवं आरोपीगण के बीच विवाद चल रहा है वह खेत करीब डेढ़ किमी0 दूर है। इस प्रकार से घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी के अभिसाक्ष्य से फरियादी के कथनों की पुष्टि न होते हुए संदिग्ध परिस्थिति उत्पन्न होती है।

12. प्रकरण में फरियादी रामेश्वर अ0सा0 2 अपने मुख्य परीक्षण में पसली और सिर में चोट आना बताता है किन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में पसलियों की चोटें गिनकर बताने में अस्मर्थ है। साथ ही यह भी कथन करता है कि उसके सारे शरीर में चोटें थी, वह चोटों की गिनती करके नहीं बता

सकता है। साक्षी सिर में बांयी तरफ चोट का कथन करते हुए उसके सिर में इतना बड़ा छेद हो जाना बताता है कि उंगली चली जाए। साक्षी द्वारा उसे कथित चोटें अत्यधिक बड़ चढ़कर बताई हैं। केदार अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी रामेश्वर को सिर में दो तीन डण्डा लगने और पीठ में एक दो डण्डे लगने का कथन करते हैं। साक्षी आहत को सरिया से कोई चोट कारित न होने का तथ्य प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में बताते हैं। बाबूलाल अ0सा0 4 चोटों के संबंध में कण्डिका 4 में कथन करते हैं कि उन्होंने रामेश्वर को कोई चोट नहीं देखी और न रामेश्वर को कोई खून निकल रहा था। चिकित्सीय साक्षी डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में आहत रामेश्वर का दि0 11.08.12 को चिकित्सीय परीक्षण करने पर सिर में फ्रन्टल एवं पैराइटल भाग के मध्य बांयी तरफ 0.8 गुणा 0.5 सेमी0 की खरोंच पाए जाने तथा एक नीलगू निशान बांयी तरफ छाती पर पाए जाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से फरियादी को कारित चोटें साधारण प्रकृति की एवं सख्त व भौथरी वस्तु से कारित होने के संबंध में अपनी राय देते हैं। सर्वप्रथम तो किसी भी धारदार या नुकीली वस्तु से चोट पहुंचाए जाने के संबंध में चिकित्सक द्वारा कोई भी समर्थन नहीं किया है। साथ ही स्वयं कथित चक्षुदर्शी बाबूलाल अ0सा0 4 ने चोटों के संबंध में इंकार किया है। इस प्रकार से फरियादी को कारित चोटों के संबंध में परस्पर विरोधाभासी तथ्य अभिलेख पर है।

13. प्रकरण में जहां एक ओर फरियादी अभियुक्तगण द्वारा सर्वे क्र0 33 और 53 को जोत लेने के संबंध में कथन करते हैं वही फरियादी का सगा भाई केदार अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि वासुदेव द्वारा अपना टेक्टर लेकर खेत जोतने आए थे और मारपीट करके भाग गए। थोड़ा सा खेत जोता था और कथन करते हैं मात्र एक दो फेरे टेक्टर से लगा पाए थे तब उसे और बाबूलाल को देखकर भाग गए थे। बाबूलाल अ0सा0 4 अभिकथित खेत की घटना से ही इंकार करता है और घटनास्थल से कथित खेतों की दूरी करीब डेढ़ किमी0 होना बताते हैं। साक्षी फरियादी को बरौआ गांव के पास रोड पर स्थित पुलिया पर झगडा होने और फरियादी रामेश्वर उसे उक्त गांव में पूरनसिंह दंदरौआ वाले के दरवाजे पर बैठे मिलने का कथन करते हैं। साक्षी उसके सामने कोई भी घटना होने से इंकार करते हैं और रामेश्वर द्वारा उसे बताए जाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से कथित आपराधिक अतिचार के संबंध में सारवान साक्ष्य के मध्य विरोधाभास है। कोई भी स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। फरियादी रामेश्वर अ0सा0 2 का सगा भाई केदार अ0सा0 3 है। बाबूलाल अ0सा0 4 को केदार प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में गांव के नाते भतीजा लगने का कथन करते हैं। प्रकरण में कथित घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा प्राथमिकी प्र0पी0 1 ए के अनुसार करीब 4 घण्टे बाद की गयी है जो कि एक संदेहपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करता है।

14. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से जमीनी विवाद के संबंध में फरियादी रामेश्वर अ0सा0 2 से प्रश्न पूछे गए जिसमें साक्षी कण्डिका 5 में स्वीकार करता है कि कथित सर्वे क्र0 33 व 53 के

संबंध में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के समक्ष दिनांक 03.06.2012 को व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था, मूल दावे की प्रमाणित प्रति प्र0डी0 2 होना स्वीकार करते हैं। प्रतिदावा प्र0डी0 3 भी स्वीकार करते हैं। प्र0डी0 2 से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण से फरियादी का जमीन संबंधी पूर्व से ही विवाद चल रहा था। जहां साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में इस तथ्य से इंकार करते हैं कि असाड से लेकर खेतों में अगस्त तक पानी भरा रहता है वहीं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन करते हैं कि उन्होंने अपनी चोटों का एक्सरे नहीं कराया था क्योंकि रास्ता बंद था और पानी बरस रहा था। साक्षी मेडीकल फार्म प्र0पी0 1 में अग्रभाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है जिसमें स्वेच्छा एक्सरे से इंकार किया गया है। इस प्रकार से स्वयं फरियादी के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के सुझावों के परस्पर विरोधाभासी कथन किया है।

15. प्रकरण में साक्षी रामेश्वर अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य की कण्डिका 7 में स्वीकार करते हैं कि वर्ष 2012 से उक्त खेतों पर वासुदेव खेती कर रहा है। साक्षी प्रकरण में प्रस्तुत खसरा पटवारी से लेकर पुलिस को दिए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं। जबकि लक्ष्मणसिंह गौड अ0सा0 5 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन करते हैं कि खसरा फरियादी रामेश्वर लेकर आया था। साक्षी प्र0पी0 4 के खसरा संवत् 2068 से 2074 तक में सर्वे नंबर 33 एवं 53 के संबंध में कैफियत के कॉलम में अभियुक्त वासुदेव का नाम चालू वर्ष के कब्जे के रूप में इन्द्राज किए जाने का आदेश होने का तथ्य स्वीकार करते हैं। प्र0पी0 4 का खसरा दस्तावेज अभिलेख पर है जिसमें न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्र0क्र0 59/2011-12/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2012 के अनुसार सर्वे क्र0 33 व 53 ग्राम छरेंटा जिसके भूमिस्वामी के रूप में कॉलम नं0 3 में रामेश्वर जबकि कब्जेदार के रूप में अभियुक्त का नाम दर्ज किए जाने हेतु आदेश का उल्लेख किया गया है। लक्ष्मण सिंह अ0सा0 5 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में स्वीकार करते हैं कि उक्त तहसीलदार का आदेश घटना दिनांक के पूर्व का है। घटना दिनांक 11.08.12 की बताई गयी है और उक्त दिनांक के पूर्व ही स्वयं अभियोजन दस्तावेज प्र0पी0 4 से अभियुक्त के कब्जेदार होने का तथ्य अभिलेख पर है। इस प्रकार से प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध फरियादी के कथन किए जाने का सारवान हेतुक प्रमाणित हो रहा है।

16. प्रकरण में जहां अभियोजन के हितबद्ध साक्षियों के मध्य पारस्परिक विरोधाभास मौजूद है। फरियादी द्वारा अभिकथित घटना के संबंध में बढ चढकर उसकी चोटों, प्रयुक्त हथियार तथा घटना स्थल पर उपस्थिति एवं खेत जबरन जोत लेने के संबंध में कथन किए हैं जो कि स्वयं अभियोजन की साक्ष्य से संदिग्ध हो रहे हैं। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध फरियादी के कथन किए जाने का हेतुक दर्शित हुआ है। प्र0डी0 2, 3 के दस्तावेजों से घटना के पूर्व से फरियादी एवं अभियुक्तगण का साम्पातिक विवाद अभिलेख पर मौजूद है ऐसी दशा में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्य भी संपुष्टि की मांग करता

है। प्राथमिकी प्र०पी० 1 ए में विलंब कारित किया गया है जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण भी नहीं है। अभियुक्तगण से कोई भी सरिया अथवा डण्डा अनुसंधानकर्ता द्वारा जब्त नहीं किए गए हैं। इस प्रकार से प्रकरण में तात्त्विक दोष मौजूद है। हाल ही में मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत

Indra devi & ors. Vs. State of Himachal pradesh 2016 (2) C.C.S.C. 1129

(S.C.) में उपहत साक्षी की अभिसाक्ष्य के संबंध में अभिव्यक्त किया-

Para-7. "The proposition of law that an injured witness is generally reliable is no doubt correct but even an injured witness must be subjected to careful scrutiny if circumstances and materials available on record suggest that he may have falsely implicated some innocent persons also as an after thought on account of enmity and vendetta. The trial court erred in not keeping this in mind."

इस प्रकार से उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर फरियादी रामेश्वर अ०सा० 2, केदार अ०सा० 3 तथा बाबूलाल अ०सा० 4 की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाई जाती है। साथ ही अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

17. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व

अन्य ए०आई०आर० 2016 एस०सी० 4581: 2016-4 सी०सी०एस०सी० 1807 में हाल ही में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषिता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।"

18. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 11.08.12 के 2 बजे दिन में हार ग्राम छरेंटा में फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभकारित किया, सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रामेश्वर शर्मा की लातघूँसों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की, फरियादी की जमीन को जबरन टेक्टर से जोतकर आपराधिक अतिचार कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 294, 323/34, 447, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की जाती है, उनके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

20. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

21. यदि अभियुक्तगण इस प्रकरण में निरोध में रहे हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश